

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीकांत व्यास आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 32/2022 राजस्व वाद



उनवान

1- मिश्रीलाल पुत्र मगना जाट निवासी लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

- वादी

बनाम

- 1- गीता देवी पत्नी रामलाल जाट निवासी डुंगा का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 2- दिलकुश पुत्र रामलाल जाट निवासी डुंगा का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 3- निर्मल पुत्र रामलाल जाट निवासी डुंगा का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 4- बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 5- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात  
उपस्थित:- श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता वादी)

## निर्णय

दिनांक 03.03.2025

आज दिनांक 03.03.2025 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य इस प्रकार मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम लाम्बियाकलां प0ह0 लाम्बियाकलां भू.अ.नि. रायला तहसील बनेड़ा में स्थित जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के आराजी सं. 890, 925, 926 कुल किता-03 रकबा 1.3785 है0 भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है:-

1- मिश्रीलाल पुत्र मगना जाति जाट सा.देह. खातेदार के नाम दर्ज की जावे -

क्र. सं.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1	890	0.1265 है0	बीड बंजड	-
2	925/1	0.7152 है0	बीड बंजड	-
3	926/1	0.2611 है0	बीड बंजड	-
कुल किता	03	1.1028 है0	-	-

U

- 2- (1) गीता देवी पत्नी रामलाल जाति जाट हिस्सा 1/3 रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक (2)  
 दिलकृश पुत्र रामलाल जाति जाट हिस्सा 1/3 रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक (3)  
 निर्मल पुत्र रामलाल जाति जाट हिस्सा 1/3 रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक

क्र. सं.	आड नं०	रकबा	किस्म	लगान
1	925/2	0.1195 है०	बीड बंजड	-
2	926/2	0.1562 है०	बीड बंजड	-
कुल किता	02	0.2757 है०	-	-

उक्तानुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण क्रम 01 लगायत 03 के मध्य क्रम संख्या 1 से 2 अनुसार रहेगा तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान् अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को प्रेषित हो।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 03 माह 03 सन् 2025 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर, बनेड़ा (मीलवाडा)

प्रतिलिपि:-

प्रेषित है।

तहसीलदार बनेड़ा को मय प्रमाणित सुदा प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव के पालनार्थ



उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर, बनेड़ा (मीलवाडा)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

:: मूल वाद में अंतिम डिक्री ::

आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.

पीठासीन अधिकारी :- श्रीकांत व्यास आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 32/2022 राजस्व वाद

उनवान

1- मिश्रीलाल पुत्र मगना जाट निवासी लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

- वादी

बनाम

- 1- गीता देवी पत्नी रामलाल जाट निवासी डुंगा का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 2- दिलकुश पुत्र रामलाल जाट निवासी डुंगा का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 3- निर्मल पुत्र रामलाल जाट निवासी डुंगा का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 4- बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 5- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात  
उपस्थित:- श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता वादी)

निर्णय

दिनांक 03.03.2025

वादपत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगणगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम लाम्बियाकलां ५०६० लाम्बियाकलां भू.अ.नि. रायला तहसील बनेड़ा में स्थित जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के आराजी सं. 890, 925, 926 कुल किता-03 रकबा 1.3785 है० भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री को अन्तिम डिक्री प्रदत्त की जाती है। तदनूसार पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को आदेशित किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।



(श्रीकांत व्यास)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर, बनेड़ा (भीलवाड़ा)